सं07(75)ई0 ।।।|ए0|71

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 - 4 - 1972

चैत्र 1894(शक)

कार्यालय ज्ञापन

विषय: उच्च पद पर पदोन्नति नियुक्ति अथवा पदोन्नति पर प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण - कम से कम एक वेतनवृद्धि का लाभ देने के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें ।

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 15-5-61 के का0 ज्ञा0 सं0 फा0 2(9)ई ।।।|61 के पैराग्राफ 3 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह व्यवस्था है कि जो सरकारी कर्मचारी असंवर्गीय पद के वेतनमान में वेतन लेता है और अगर वह अपने मूल संवर्ग को प्रत्यावर्तित होता है और उस संवर्ग में, प्रत्यावर्तन से तत्काल पूर्व की नियुक्ति के असंवर्गीय पद से उच्चतर पर पर नियुक्त होता है तो उसके वेतन का निर्धारण, दिनांक 20-3-61 के आदेशों के अनुसार अर्थात् असंवर्गीय पद में उसे प्राप्त वेतन के सन्दर्भ में मूल नियम 22-सी के अन्तर्गत किया जायगा ।

2. दिनांक 30-11-65 की अधिसूचना सं0 1(25)ई0 ।।।(ए)|64 के अनुसार मूल नियम 22-सी0 के परन्तुक का संशोधन हो जाने से, असंवर्गीय पद पर की गयी सेवा की गणना का लाभ समान वेतनमान के संवर्गीय पद में वेतनवृद्धियों के लिए अब उसी में निर्धारित शर्तों की पूर्ति की सीमा तक ही उपलब्ध है, अन्यथा नहीं । एक प्रश्न उठाया गया

(कृ0 पृ0 उ0)

है कि क्या असंवर्गीय पद में लिये गये वेतन के सन्दर्भ में मूल नियम 22-सी० के अन्तर्गत संवर्ग पद पर वेतन निर्धारण का जो लाभ, दिनांक 15-5-61 के का० ज्ञा० सं० 2(9)ई० ।।।।61 के अन्तर्गत स्वीकार्य किया गया था, वह अब भी प्राप्य है । यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लेख किये अनुसार मूल नियम 22-सी० के संशोधन के बाद दिनांक 15-6-61 के का० ज्ञा० में निहित आदेश, लागू नहीं रह गये हैं और असंवर्गीय पद पर प्राप्त वेतन के आधार पर संवर्ग पद पर वेतन का निर्धारण करने की अनुमति नहीं है ।

3. राष्ट्रपति जी ने निर्णय किया है कि 30-11-65 को अथवा तदनन्तर हुई पदोन्नतियों के सम्बन्ध में दिनांक 15-5-61 के का० ज्ञा० की व्यवस्था को लागू करते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन पहले ही निर्धारित किया जा चुका है उनका वेतन मूल संवर्ग में निम्नतर पद पर उन के वेतन के सन्दर्भ में ही पुन: निर्धारित किया जाना चाहिये । परन्तु इससे किसी कर्मचारी को होनेवाली क्षति के निवारण के लिए राष्ट्रपति जी ने यह भी निर्णय किया है कि पहले से निर्धारित किये गये वेतन तथा इन आदेशों के अनुसार अनुमत्य वेतन के अन्तर को इन आदेशों के जारी होनेने की तारीख से 'वैयक्तिक वेतन' वेतन माना जायगा और इस को भविष्य वेतन-वृद्धियों अथवा वेतन में वृद्धियों में खपाया जायगा ।

4. इसी प्रकार इस मंत्रालय के दिनांक 15-2-67 के का० ज्ञा० सं० 2(9) ई० ।।।।61 में निहित आदेश भी रद्द कर दिये जाते हैं और इस से प्रभावित व्यक्तियों का वेतन फिर से निर्धारित किया जाना चाहिए तथा स्तत्-जन्य अन्तर को वैयक्तिक वेतन माना जायगा एवं इसको भविष्य में मिलनेवाली वेतनवृद्धियों अथवा वेतन में वृद्धियों में खपाया जायगा ।

(कृ० पृ० उ०)

5. यहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श कर के जारी किये जा रहे हैं ।

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को ।

(सं,स-2,ब)

(ए,स-2,ब)